न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
नामान्तरण अपील संख्याः 14/2024
दायर दिनांकः 02.04.2024
निर्णय दिनांक 31.10.2025

—: अनवान :—

1. श्रीमती भंवर कुंवर पुत्री भुर सिंह जी पत्नी लहर सिंह जी, जाति राजपुत, आयु 58 वर्ष निवासी मडका, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद हाल निवासी मादरेचों का गुडा भैंसाकमेड, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद
2. श्रीमती दरियाव कुंवर पुत्री भुर सिंह जी पत्नी हीर सिंह जी जाति राजपुत आयु 50 वर्ष, निवासी मडका, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद हाल लालमादडी, तहसील देलवाडा, जिला निवासी राजसमंद
3. श्रीमती सुन्दर कुंवर पुत्री भुर सिंह जी पत्नी करण सिंह जी, जाति राजपुत, आयु 45 वर्ष निवासी मडका, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद हाल निवासी बडगुल्ला, कालींजर, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमंद

— अपीलाण्टगण

बनाम

1. श्री गुलाब सिंह पिता भुर सिंह जी जाति राजपुत, आयु वयस्क निवासी मढका, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद
2. श्री दौलत सिंह पिता भुर सिंह जी जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी मडका, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद
3. श्रीमती अंगारी बाई पत्नी भुर सिंह जी जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी मडका, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब नाथद्वारा जिला राजसमंद।

— रेस्पोंडेन्टगण

अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 692 दिनांक 12/01/2013 न्यायालय तहसीलदार नाथद्वारा के गांव मडका, पटवार हल्का चिकलवास, तहसील नाथद्वारा के आदेश के विरूद्ध अपील

उपस्थित :—

1. श्री ख्यालीलाल नागदा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भोपाल सिंह राव, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1,2 व 3
3. श्री अनिल बागोरा, राज0अधि0, रेस्पोडेन्ट संख्या 4

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

—:: निर्णय ::—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार, नाथद्वारा नामान्तरकरण संख्या 692 दिनांक 12.01.2013 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खातेदार भुर सिंह पिता वदन सिंह जी राजपुत निवासी मडका तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद के रहने वाले होकर उनकी कृषि भूमिया राजस्व गांव मडका पटवार क्षेत्र चिकलवास. तहसील नाथद्वारा में स्थित है तथा खातेदार भुर सिंह की मृत्यु हो चुकी है जिनके विधिक वारिस अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 3 है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी जांच पडताल किये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के नाम नामान्तरण संख्या 692 दिनांक 12.01.2013 स्वीकृत किया जिससे दुखी एवं पीड़ित होकर अपीलार्थीगण इन आधारों पर यह अपील प्रस्तुत कर रहे है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण आदेश न्याय एवं विधि के विरूद्ध होकर तथ्यों से सर्वथा परे है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नाथद्वारा ने कानुन के विपरीत जाकर ऐसा निर्णय पारित किया तथा ऐसा निर्णय पारित करके जिससे अपीलार्थीगण के हक एवं अधिकारों को ही समाप्त कर दिया तथा जो अधिनस्थ न्यायालय ने नामान्तरण संख्या 692 स्वीकृत करने से पुर्व किसी प्रकार की वैधानिक प्रकिया नहीं अपनाई तथा पटवारी हल्का मडका द्वारा नामान्तरण भरकर पेश किया उस पर गौर न कर अपने मनमाफिक तरिके से नामान्तरकरण स्वीकृत कर लिया जबकि न्यायालय द्वारा कानुनन मृत खातेदार के समस्त विधिक वारिसों के नाम पर ही नामान्तरण पारित होना था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने मृत खातेदार के विधिक वारिसानों की कोई जांच न कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा बताये गये विधिक वारिसानों के आधार पर ही नामान्तरण पारित कर दिया जबकि अपीलार्थीगण मृतक खातेदार की जायन्दा पुत्रीयां है। कानुनन उनका भी मृत खातेदार की सम्पत्ति में हक व अधिकार निहित है तथा मृत खातेदार की जायन्दा पुत्रीयां होने से उनके भी अधिकार निहित है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने मृत खातेदार के समस्त विधिक वारिसानों की जांच न कर पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत वारिसों के आधार पर ही अर्थात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के नाम पर नामान्तरण पारित कर दिया जबकि अपीलार्थीगण भी मृत खातेदार के विधिक वारिसान थे तथा ऐसा आदेश पारित किया जो विधि से सर्वथा विपरीत होकर अपास्त योग्य है। अपीलार्थीगण के खानदान का सजरा निम्न प्रकार है—

भुर सिंह

दौलत सिंह (पुत्र)	गुलाब सिंह (पुत्र)	श्रंगारी बाई (पत्नि)	भंवर कुंवर (पुत्री)	दरियाव कुंवर (पुत्री)	सुन्दर कुंवर (पुत्री)

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अपीलार्थीगण मृत खातेदार भुर सिंह पिता वदन सिंह जी राजपुत की जाईन्दा विधिक पुत्रीया है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 मृत खातेदार के पुत्र है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 मृतक खातेदार की पत्नी है इसलिये मृत खातेदार भुर सिंह पिता वदन सिंह की समस्त कृषि भुमियों में अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्टगण का समान हक व हिस्सा निहित है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मृत खातेदार के अकेले रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व 3 के नाम पर विरासत से नामान्तरण पारित कर दिया। जबकि कानुनन अपीलार्थीगण भी मृत खातेदार की जायन्दा पुत्रीयां होने से उनके भी हक एवं अधिकार निहित थे परन्तु राजस्व रेकर्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर उक्त कृषि भुमियों को अकेले अपने नाम पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज करा दी। अधिनस्थ न्यायालय के इस प्रकार के विधि विरूद्ध आदेश की अपील की यद्यपि कोई समय सीमा नहीं है क्योंकि इस प्रकार के निर्णय से अपीलार्थीगण के अपने हक अधिकारों को ही समाप्त कर दिया फिर भी अपीलार्थीगण की और से भारतीय अवधि अधिनियम का अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अपीलार्थीगण को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी प्रथम बार दिनांक 08.03.2024 को हुई जब अपीलार्थीगण ई मित्र पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के फार्म हेतु ई मित्र पर गये तो पता चला कि राजस्व रेकर्ड में हमारा नाम नहीं है तत्पश्चात् पटवारी हल्का चिकलवास के पास उक्त भुमि की जानकारी हेतु गये तो पता चला कि वास्तव में अपीलार्थीगण का नाम नहीं है तथा हमारे भाईयों द्वारा हमारे नाम कटवा दिये गये है। अकेले दोनों भाई एवं हमारी माताजी के नाम ही विरासत से दर्ज करा दी है तब पटवारी हल्का से उक्त नामान्तरण की प्रमाणित नकल प्राप्त की तथा तहसीलदार खमनोर से भी जमाबंदी की नकल प्राप्त की तथा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर कानुनी राय प्राप्त की तथा अब अविलम्ब अपीलार्थीगण की और से अपील आप न्यायालय में पेश की फिर भी अपील पेश करने में हुई देरी को माफ किया जाना न्याय हित में अति आवश्यक है। इस हेतु अपीलार्थीगण की और से भारतीय अवधि अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नाथद्वारा के आदेश दिनांक 12/01/2013 के राजस्व गांव मड़का के नामान्तरण संख्या 692 को निरस्त फरमाया जायें तथा मृत खातेदार भुर सिंह पिता वदन सिंह जी के समस्त विधिक वारिसानों के नाम अर्थात अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडन्टगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने की आज्ञा प्रदान कराई जायें।

अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व 3 की ओर अधिवक्ता श्री भोपाल सिंह राव ने वकालतनामा प्रस्तुत कर उपस्थिति दी। किन्तु दिनांक 03.10.2025 को वक्त बहस अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व 3 अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा पारित की गयी। तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थिति।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि खातेदार भुर सिंह पिता वदन सिंह जी राजपुत निवासी मडका तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द के रहने वाले होकर उनकी कृषि भूमिया राजस्व गांव मडका पटवार क्षेत्र चिकलवास तहसील नाथद्वारा में स्थित है तथा खातेदार भुर सिंह की मृत्यु हो चुकी है जिनके विधिक वारिस अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 3 है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी जांच पडताल किये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के नाम नामान्तरण संख्या 692 दिनांक 12.01.2013 स्वीकृत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण आदेश न्याय एवं विधि के विरूद्ध होकर तथ्यों से सर्वथा परे है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नाथद्वारा ने कानुन के विपरीत जाकर ऐसा निर्णय पारित किया तथा ऐसा निर्णय पारित करके जिससे अपीलार्थीगण के हक एवं अधिकारों को ही समाप्त कर दिया तथा जो अधिनस्थ न्यायालय ने नामान्तरण संख्या 692 स्वीकृत करने से पूर्व किसी प्रकार की वैधानिक प्रकिया नहीं अपनाई तथा पटवारी हल्का मडका द्वारा नामान्तरण भरकर पेश किया उस पर गौर न कर अपने मनमाफिक तरिके से नामान्तरणकरण स्वीकृत कर लिया जबकि न्यायालय द्वारा कानुनन मृत खातेदार के समस्त विधिक वारिसों के नाम पर ही नामान्तरण पारित होना था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने मृत खातेदार के विधिक वारिसानों की कोई जांच न कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा बताये गये विधिक वारिसानों के आधार पर ही नामान्तरण पारित कर दिया जबकि अपीलार्थीगण मृतक खातेदार की जायन्दा पुत्रीयां है। कानुनन उनका भी मृत खातेदार की सम्पत्ति में हक व अधिकार निहित है अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नाथद्वारा के आदेश दिनांक 12/01/2013 के राजस्व गांव मड़का के नामान्तरण संख्या 692 को निरस्त फरमाया जायें तथा मृत खातेदार भुर सिंह पिता वदन सिंह जी के समस्त विधिक वारिसानों के नाम अर्थात अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडन्टगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने की आज्ञा प्रदान कराई जायें।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। नामान्तरकरण की प्रक्रिया एक संक्षिप्त प्रक्रिया है जिसमें हक अधिकारो का निर्धारण नहीं किया जाता है। तथा पटवारी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरकरण पत्र के आधार पर विधिसम्मत व विधिनुकुल आदेश पारित किया गया। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत नामान्तरण के संबंध में अधिवक्ता

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अपीलांट द्वारा विचारणीय अपील तहसीलदार नाथद्वारा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 692 दिनांक 12.01.2013 के विरूद्ध इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि तहसीलदार नाथद्वारा द्वारा यह नामान्तरकरण खातेदार श्री भूरसिंह पिता वदनसिंह की मृत्यु हो जाने से उनके समस्त विधिक वारिसानो के नाम नामान्तरण नही खोलकर केवल उनके दोनो पुत्रो गुलाबसिंह, दौलतसिंह तथा पत्नि श्रीमती श्रंगारीबाई के नाम पर प्रश्नगत नामान्तरकरण खोला गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा भी इस संबंध में जवाब प्रस्तुत किया गया हैं, जो पत्रावली में संलग्न है। जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के द्वारा भी यह माना गया है कि अपीलार्थीगण भूरसिंह की जायन्दा पुत्रीयां है। और नामान्तरकरण में उनका नाम भी आना चाहिए। पत्रावली में संलग्न तहसीलदार नाथद्वारा की रिपोर्ट दिनांक 03.06.2024 के अनुसार तीनो अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की बहने बताया गया है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाना मैं उचित समझता हूँ।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 692 दिनांक 12.01.2013 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता हैं कि मृतक भूरसिंह पिता वदनसिंह के सभी विधिक वारीसानो की जांच कर पुनः नामान्तरकरण की नियमानुसार कार्यवाही करे।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 31.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)